राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक प.3(13)III–ए / निर्वा / एस.एस.आर–13 / 2013 | 2119 जयपुर दिनांक 31.5.13

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2013।

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23 / 2013 / ईआरएस(Vol-III) दिंनाक 17.05.2013।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के अनुसार अर्हता तिथी 1 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ मे निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2013 निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यक्रम की प्रति आपको पृथक से प्रेषित कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन दिनांक 03.07.2013 को किया जाना है जिसके लिए " एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013 " के मुद्रण एवं आपूर्ति के लिए आपके जिंले की मतदाता सूची 2013 कार्य के लिए पूर्व अनुबंधित फर्म को ही कार्यादेश जारी किये गये हैं। उक्त कार्यादेश की प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। अतः आप उक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के लिए " एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013 " की तैयारी एवं मुद्रण के सम्बन्ध मे निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे :–

1. मतदाता सूचियों के उपरोक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन हेतु " एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013 " तैयार कराई जानी है। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची–2013 के एकीकरण के दौरान 21 जनवरी 2013 को प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूची–2013 मय पूरक 01 तथा इसके पश्चात निरन्तर अद्यतन के दौरान स्वीकृत हुए परिवर्धन विलोपन एवं संशोधनों (पूरक 02) को समाहित करते हुए " एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013 " तैयार की जावेगी। अतः आप अपने जिंले के समस्त विधान सभा क्षेत्रों की दिनांक 21 जनवरी 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के पश्चात निरन्तर अद्यतन के दौरान स्वीकृत परिवर्धन विलोपन एवं संशोधनों का एकीकृत प्रारूप मतदात सूची 2013 मे एकीकरण (Intigration) कराया जाना सुनिश्चित करावें।
2. दिनांक 21.01.2013 के पश्चात तैयार कराये गये मतदाता फोटो पहचान–पत्र एवं बीएलओ के माध्यम से एकत्रित कराये गये फोटोज का समावेश " एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013 " मे कराया जाना सुनिश्चित करावें।

5/6/2013

D FOLDER HINDI LETTER ACCOUNTENT SIR

3. समस्त मुद्रित कराये जाने वाले परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन की सूचियॉ मतदाता सूची मुद्रित करने के लिए अनुबंधित फर्म को एवं फार्म नं. 6 ईपिक के लिए अनुबंधित फर्म को तत्काल प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।
4. जो फोटोज सिर्फ मतदाता सूची में मुद्रित करने के लिए एकत्रित किये गये हैं तथा ज़िनके ईपिक तैयार नही होने हैं, उन्हें मतदाता सूची के लिए अनुबंधित फर्म को एवं जो फोटो ईपिक एवं मतदाता सूची दोनों के लिए एकत्रित किए गये है, उन्हें ईपिक के लिए अनुबंधित फर्म को तत्काल प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। ईपिक के लिए अनुबंधित फर्म का यह दायित्व होगा कि वह ईपिक का डाटा मतदाता सूची के लिए अनुबंधित फर्म को फोटो मुद्रित कराने के लिए अविलम्ब उपलब्ध करावें।
5. प्रारूप मतदाता सूची 2013 एवं पूरक 01 तथा पूरक 02 का एकीकरण करते हुए तैयार की गई आज दिनांक "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की एक चैक लिस्ट अनुबंधित फर्म द्वारा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) को प्रुफ रिडिंग हेतु उपलब्ध करायेगी। सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) उक्त चैक लिस्ट की गहन जॉच के दौरान निम्न बिन्दुओ की पालना सुनिश्चित करेगें:–
   i. पूर्व मे पंजीकृत समस्त मतदाताओं के नाम मय फोटो चैक लिस्ट में मुद्रित हो गये हैं।
   ii. पूरक 01 एवं 02 के परिवर्धन सूची के समस्त नये मतदाताओं के नाम उनके परिवार के साथ यथास्थान "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की चैक लिस्ट में मुद्रित हो गये हैं। तथा इन मतदाताओं की फोटो भी उनकी प्रविष्टि के साथ मुद्रित हो गई है।
   iii. पूरक 01 एवं पूरक 02 के विलोपन सूची के समस्त मतदाताओं के नाम चैक लिस्ट से विलोपित हो गये है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करावें कि किसी अन्य मतदाता का नाम सहवन से विलोपित तो नहीं हो गया है।
   iv. पूरक 01 एवं पूरक 02 के संशोधन सूची की सभी प्रविष्टियां "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की चैक लिस्ट में अपडेट हो गई है।
   v. पूर्व पंजीकृत जिन मतदाताओं को ईपिक उपलब्ध कराये गये है, उनकी फोटो भी मतदाता की प्रविष्टि के साथ "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की लिस्ट में मुद्रित हो गई हैं।
   vi. चूकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अर्हता तिथी दिनांक 01 जनवरी, 2013 है अतः "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की चैक लिस्ट में मतदाता की आयु पूर्वानुसार (AS on 01.01.2013) ही मुद्रित की जावे। यह भी सुनिश्चित करें कि मतदाता की आयु मे एक वर्ष की वृद्धि न की जावे।
   vii. क्षेत्र–परिक्षेत्र में वांछित सभी संशोधनों को चैक लिस्ट मे समाहित कर लिया गया है।
   viii. उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चिन्हित की गई सभी त्रुटियों का निराकरण "एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 2013" की चैक लिस्ट में कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना के लिए उक्त निर्देशों को अपने अधीनस्थ सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के ध्यान मे लाया जावे तथा शुद्व एवं स्वच्छ मतदाता सूचियों से निर्धारित तिथी को प्रारूप प्रकाशन सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
प्रमुख शासन सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, राज0 जयपुर।
2. मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर।
3. मै. जैम़ कम्प्यूटर्स, जयपुर।
4. मै. बाईनरी सिस्टमस, जयपुर।
5. मै. बिजनेस इन्फोर्मेशन प्रासेसिंग सर्विसेज, जयपुर।
6. मै. यू.एम.सी. टेक्नोलोजिज प्रा.लि., जयपुर।
7. मै. सार टैक्नोलोजी, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर